LSD / महत्वपूर्ण

संख्या–1788 / सैंतीस–2–2022

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,**
लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कन्नौज, फर्रूखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट एवं महोबा, उ0प्र0।
2. **निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।**

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 10 सितम्बर, 2022

विषय– **Lumpy Skin Disease (LSD) की रोकथाम हेतु झॉसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल के चयनित जनपदों में संचालित गोवंश आश्रय स्थलों एवं गौशालाओं के गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि सीमावर्ती राज्यों राजस्थान, हरियाणा आदि से प्रदेश के पश्चिमी 24 जनपदों में Lumpy Skin Disease (LSD) का गोवंश में संक्रमण हुआ है। इस रोग से अभी तक प्रदेश के 2,519 ग्रामों में 23,269 पशु प्रभावित हुये हैं। यह एक विषाणुजनित रोग है। इसका प्रसार प्रभावित पशुओं से वेक्टर आदि के माध्यम से अन्य पशुओं में होता है। LSD संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा उपचार हेतु भारत सरकार के पशुपालन एवं दुग्धशाला विभाग द्वारा निर्गत गाइडलाइन के क्रम में पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1593 / सैंतीस–2–2022, दिनांक 23.08.2022 विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2– वर्तमान में प्रदेश के पश्चिमी भाग के 25 जनपदों में गोट पाक्स वैक्सीन से रिंग वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक–07.09.2022 द्वारा LSD के संक्रमण को पश्चिमॉचल में सीमित रखने एवं प्रदेश के मध्य क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र के जनपदों में बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु पश्चिमॉचल के प्रभावित जनपदों के मध्य क्षेत्र से लगी हुई सीमा पर सघन टीकाकरण अभियान चलाते हुए 10 कि.मी. का इन्यून जोन बनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण की कार्यवाही युद्धस्तर पर की जा रही है।

3– प्रदेश के अन्य जनपदों में LSD संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा जनपद लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कन्नौज, फर्रूखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट एवं महोबा में संचालित गोवंश आश्रय स्थलों एवं गौशालाओं के

गोवंशीय पशुओं में सघन टीकाकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

(1) उपर्युक्त जनपदों में संचालित कुल 3,268 गोवंश आश्रय स्थलों/गो–संरक्षण केन्द्रों, कान्हा गोशालाओं, पंजीकृत/अपंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित कुल 4,24,330 गोवंश का टीकाकरण कराया जाय।

(2) टीकाकरण की कार्यवाही दिनांक–13.09.2022 से प्रारम्भ कर 05 दिवसों में पूर्ण की जाय।

(3) प्रतिदिन एक लाख टीकाकरण के आच्छादन के आधार पर कुल 4,24,330 गोवंश का टीकाकरण 05 दिवसों में पूर्ण किये जाने हेतु 500 टीमों का गठन किया जाना होगा।

(4) टीकाकरण हेतु वैक्सीन की मांग एवं उपलब्धता के लिए डा0 एस.के.अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, मुख्यालय मो0–9839072095 से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या–1788(1)/सैंतीस–2–2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।